भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1000
08 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

छावनी क्षेत्रों में भूमि अतिक्रमण

1000. श्री बी.बी. पाटील :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छावनी क्षेत्रों में भूमि पर अवैध कब्जे/अतिक्रमण के मामलों की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कब्जे/अतिक्रमणों के कारण प्रचालन संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) और (ख): रक्षा संपदा संगठन के प्रबंधन के अंतर्गत छावनियों के भीतर अतिक्रमणाधीन कुल रक्षा भूमि लगभग 1850 एकड़ है । वर्ष 2022-23 के दौरान रक्षा संपदा संगठन के प्रबंधन के अंतर्गत छावनियों के भीतर लगभग 10 एकड़ रक्षा भूमि पर अतिक्रमणों का पता लगा है जबकि लगभग 26 एकड़ से अतिक्रमण हटाया गया है ।

(ग) और (घ): सैन्य प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि जिन अतिक्रमणों से गंभीर खतरा था उन्हें सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के

तहत हटा दिया गया है । शेष अतिक्रमणों के कारण कोई गंभीर संक्रियात्मक समस्याएं नहीं हुई हैं । इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू की गई है ।

(ड.): अतिक्रमण की समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(i) संबंधित कार्यालयों द्वारा रक्षा भूमियों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है और वे नियमानुसार वार्षिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं ।

(ii) रक्षा भूमि के अभिलेखों का डिजिटीकरण किया गया है ।

(iii) भूमि प्रबंधन प्रणाली को लागू किया गया है जिसमें अतिक्रमणों के जीआईएस लेयर्स विकसित किए गए हैं जो एक समय अवधि के पश्चात अतिक्रमण संबंधी सूचना उपलब्ध कराती हैं और नए अतिक्रमण रोकने में सहायता करती है ।

(iv) वर्ष 2011-12 से सतत प्रक्रिया के तौर पर रक्षा भूमि लेखापरीक्षा शुरू की गई है । वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए भूमि लेखापरीक्षा पूरी हो गई है और वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है ।

(v) एक 'चेंज डिटेक्शन जीआईएस टूल्स' विकसित किया गया है जो एक निश्चित समय अवधि के पश्चात अतिक्रमण का ब्यौरा उपलब्ध कराता है । यह टूल सुनिश्चित करता है कि ऐसे सभी अतिक्रमणों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है ।

(vi) "रक्षा भूमि पर अतिक्रमण के खतरे" का मूल्यांकन करने के लिए एक कार्यप्रणाली तैयार की गई है । सरकार ने जोखिम मैट्रिक्स के आधार पर अतिक्रमणों की संभावना वाले रक्षा भूमि पॉकेट्स के चारों ओर बाउंड्री वॉल/चारदीवारी/खंभों का निर्माण करने के लिए डीजीडीई को निधियां आवंटित की हैं ।

***